राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/235/94/अलेसे–III/380 दिनांक 6-7-16

कार्यालय आदेश

श्री सतनाम सैनी कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, श्रीगंगानगर द्वारा अपराध संख्या 70/05 पंजीबद्व होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 177–188 दिनांक 12.04.2005 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

निलम्बित कार्मिको के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को आयोजित बैठक में समीक्षा उपरान्त श्री सैनी को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक 463–471 दिनांक 25.04.2012 के अनुसार पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से निलम्बन से बहाल किया गया। उक्त आदेश में निलम्बन से बहाली एवं निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जॉच के निर्णय के अध्यधीन रखा गया।

माननीय सेशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 06.02.2016 के अनुसार अभियुक्त श्री सतनाम सैनी को उक्त प्रकरण में सन्देह का लाभ देते हुए आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया गया हैं तथा महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 1625–26 दिनांक 27.05.2016 के द्वारा अपराध संख्या 70/2005 में उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। श्री सैनी के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच कार्यवाही लम्बित नही है।

अतः माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.02.2016 की अनुपालना में श्री सतनाम सैनी की निलम्बन अवधि (दिनांक 12.04.2005 से 02.05.2012 तक) को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानने एवं उक्त अवधि के वेतन–भत्तो (निर्वाह भत्ता घटाकर) के भुगतान की स्वींकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती हैं।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/235/94/अलेसे–III/380 दिनांक 6.7.16.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपशासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो जयपुर।
3. कोषधिकारी बाड़मेर
4. उपकोषाधिकारी रामसर (बाड़मेर)।
5. श्री सतनाम सैनी कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपकोषाधिकारी रामसर बाड़मेर।
6. कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)